

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
द्वितीय सहारनपुर।

CNR UPSP040248312026

मु0अ0सं0 202/2025

अन्तर्गत धारा 189(2), 221 बी0एन0एस0

थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

आदेश

29-04-2026

मुकदमा अपराध संख्या 202/2025 अन्तर्गत धारा 189(2), 221 बी0एन0एस0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त **नवाब** न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है।

अभियोजन पक्ष की आख्यानानुसार अपराध जमानतीय प्रकृति के है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा आज ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। आरोपित अपराध जमानतीय प्रकृति है एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना मामलों के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को **20 हजार रुपये** के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के **एक जमानती** दाखिल करने पर दौरान वाद जमानत पर **अवमुक्त किया जाता है।**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सहारनपुर।

जे0ओ0 कोड UP 3266